पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश हुई । विद्वान वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि हस्तगत अपील में रेस्पो0 संख्या 5 मु0 सकीना बेवा भोमा फौत हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान जिन्हें प्रार्थना पत्र में दर्शाया गया है, को रेस्पो0 संख्या 5 मु0 सकीना के स्थान पर पक्षकार नियुक्त किया जावे । यह भी कथन किया कि मृतक रेस्पो0 संख्या 5 के वारिसान राईट टू स्यु सरवाईव करते है, इनके अतिरिक्त अन्य कोई विधि वारिसान नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मृतक रेस्पो0 संख्या 5 मु0 सकीना के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट ने रेस्पो0 संख्या 5 मु0 सकीना बेवा भोमा की मृत्यु होने का कथन किया है किन्तु मृत्यु की दिनांक प्रार्थना पत्र में अंकित नही की है तथा मृतक के वारिसान जिनका नाम दर्शाया गया है, उसका कोई सजरा प्रमाण पत्र भी पेश नहीं किया गया है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में रेस्पो0 संख्या 5 सकीना की मृत्य बाबत् कोई दिनांक अंकित नहीं की है जबकि सकीना की मृत्यु दिनांक 28.11.2016 को हो चुकी है जिसकी पूर्ण जानकारी अपीलांट को पूर्व से है क्योंकि अपीलाधीन आराजियात बाबत् ही एक अन्य अपील संख्या 30/2013 बउनवानी नौरतमल बनाम सकीना के नाम से न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष विचारधीन है । उक्त अपील में सकीना बेवा भोमा की कायम–मुकामी की कार्यवाही अपीलांट के द्वारा दिनांक 5.7.2012 को की जा चुकी है जिसकी पूर्ण जानकारी वर्तमान अपीलांटस को है । हाजा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील से संबंधित राजस्व वाद श्रीमती मेफुल बनाम नोरतमल वगै0 में नियमित वाद के दौरान सकीना की मृत्यु बाबत् तथ्य अपीलाधीन आदेश पारित होने से पूर्व ही सामने आ चुका था जो कि जिला कलक्टर, अजमेर की आदेशिका से स्पष्ट है । अपीलांट ने सकीना बेवा भोमा की मृत्यु की दिनांक को छिपाया है और प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा0दी0 में उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मं लगे समय को कण्डोन करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई दादरसी भी नहीं मांगी गई है न ही विलंब को क्षमा किये जाने के लिये मियाद प्रार्थना पत्र ही पेश किया है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र के साथ जो शपथ पत्र पेश किया है वह झूंठा व बेबुनियाद है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा0दी0 निरस्त किया जावे तथा अपील भी इसी स्तर पर निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2012 (1) पेज 189 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया ।

हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 5 मु0 सकीना बेवा भोमा की मृत्यु हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावे । इसके विपरीत रेस्पो0 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में रेस्पो0 संख्या 5 सकीना की मृत्य बाबत् कोई दिनांक अंकित नहीं की है जबकि सकीना की मृत्यु दिनांक 28.11.2016 को हो चुकी है जिसकी पूर्ण जानकारी अपीलांट को पूर्व से है क्योंकि

अपीलाधीन आराजियात बाबत् ही एक अन्य अपील संख्या 30/2013 बउनवानी नौरतमल बनाम सकीना के नाम से न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष विचारधीन है । उक्त अपील में सकीना बेवा भोमा की कायम–मुकामी की कार्यवाही अपीलांट के द्वारा दिनांक 5.7.2012 को की जा चुकी है जिसकी पूर्ण जानकारी वर्तमान अपीलांटस को है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस द्वारा प्रश्नगत अपील दिनांक 6.12.2017 को हाजा न्यायालय के समक्ष पेश की गई है तथा रेस्पो0 संख्या 5 मृतक सकीना के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा0दी0 दिनांक 6.8.2019 को पेश किया है । उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलांट ने रेस्पो0 संख्या 5 की मृत्यु की दिनांक भी अंकित नही की है । जबकि रेस्पो0 संख्या 5 सकीना बेवा भोमा की मृत्यु दिनांक 28.11.2016 को हो चुकी है । अपीलांट द्वारा यह अपील रेस्पो0 संख्या 5 की मृत्यु दिनांक 28.11.2016 के पश्चात् जानकारी होने के बावजूद दिनांक 6.12.2017 को पेश की गई है जिसकी पुष्टि विद्वान अपीलाधीन आराजियात बाबत् विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण अपील संख्या 30/2013 से होती है । उक्त प्रकरण में अपीलांट द्वारा रेस्पो0 संख्या 5 सकीना बेवा भोमा की मृत्यु होने पर उसके कायम–मुकाम की कार्यवाही की गई है । उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा मृतक रेस्पो0 संख्या 5 सकीना के विरूद्ध अपील पेश की है तथा मृतक रेस्पो0 संख्या 5 के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के प्रार्थना पत्र में भी विलंब को कण्डोन करने हेतु अनुतोष नहीं चाहा है । ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मृतक के विरूद्ध पेश किये जाने से संधारण योग्य नहीं पाई जाती है ।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा0दी0 खारिज योग्य पाया जाता है तथा अपील मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पेश किये जाने से इसी स्तर पर खारिज योग्य पायी जाती है ।

अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा0दी0 खारिज किया जाता है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मृतक रेस्पो0 संख्या 5 सकीना बेवा भोमा के विरूद्ध पेश किये जाने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है ।

आदेश आज दिनांक 18.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाय गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।